तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **श्योजीराम बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण** **205/10 (आरसीएमएस नं.2010/00009)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.04.19	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तत्पश्चात् प्रकरण में पुनः रूक–रूककर कई बार आवाज दिलवाई गई किन्तु अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2010 से विचाराधीन चल रहा है तथा प्रकरण वास्ते बहस व सशोधित उनवान हेतु नियत है उसके उपरान्त भी अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित नही है तथा अपीलान्ट की ओर से अन्य कोई भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील को अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावे तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (के0सी0वर्मा) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	